International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

उत्तर प्रदेश में बाल श्र मको के लये जिला स्तरीय परियोजना एवं आवश्यक सफारिशे

डॉ गौरव कुमार गुप्ता
डीन, बा णज्य संकाय
जे.एस. वश्व वद्यालय, शकोहाबाद(फरोजाबाद) यू.पी

अय्याज अहमद
पीएचडीशोधकर्ता
जे.एस. वश्व वद्यालय, फरोजाबाद, यू.पी.

सारांश:

उत्तर प्रदेश में 75 प्रशासनिक जिले हैं (2011 की जनगणना के अनुसार 71; बाद में चार और बनाए गए)। लखनऊ राज्य की राजधानी है। नोएडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ और सहारनपुर अन्य प्रमुख शहर हैं। इसे 18 राजस्व प्रभागों में वभाजित कया गया है। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चत्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी हैं।वर्ष 2011,जनसंख्या सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यबल का अनुमान 6.69 करोड़ व्यक्तियों का है। इनमें से अ धकांश 66 प्रतिशत कृ ष में या तो कसान या खेतिहर मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। शेष 34 प्रतिशत गैर-कृ ष गति व धयों में कार्यरत हैं। इस पृष्ठभू म को देखते हुए, कौशल वकास अ धक महत्व रखता है।जिला कलेक्टर सहायता परियोज ना यह जिले के संबं धत सरकारी वभागों के सदस्यों, क्षेत्र के प्रख्यात गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा कया जाता है। सरकारी संगठनों/रेड यूनियनों और लाभा र्थयों के माता- पता से लया जा सकता है। राज्य के शक्षा वभाग, एससीईआरटी, टीआईईटी, डीआरयू और बाल श्रम क्षेत्र और अन्य संबं धत क्षेत्रों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को शा मल करके, पाठ्यक्रम में **KOSU** की सामग्री और सामग्री को जिला/राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाता है।

मुख्यशब्द:उत्तर प्रदेश, बाल श्र मक, परियोजना, सफारिशे, कौशल वकास, जनगणना, जिला स्तर

1. परिचय:

उत्तर प्रदेश जनसंख्या (16.49 प्रतिशत) के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भौगो लक क्षेत्र (7.2 प्रतिशत) के मामले में पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। 828 व्यक्ति प्रति वर्ग कमी पर, यह सभी राज्यों और केंद्र शा सत प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व के मामले में नौवें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 75 प्रशासनिक जिले हैं (2011 की जनगणना के अनुसार 71; बाद में चार और बनाए गए)। लखनऊ राज्य की राजधानी है। नोएडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ और सहारनपुर अन्य प्रमुख शहर हैं। इसे 18 राजस्व प्रभागों में वभाजित कया गया है। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चत्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसीहैं।राज्य 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में राज्यों के पुनर्गठन अ धनियम के पारित होने के साथ बनाया गया था और 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम बदल दिया गया था। यह हिमालयी राष्ट्र, नेपाल, उत्तर में और भारतीय राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में; पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान; द क्षण में मध्य प्रदेश; द क्षणपूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड और पूर्व में बिहार। राज्य में अत्य धक उपजाऊ और घनी आबादी वाले ऊपरी गंगा के मैदानों का एक बड़ा हिस्सा शा मल है। इसका कुल वन क्षेत्र लगभग 6.9 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख नदियाँ हैं: गंगा और यमुना। अन्य प्रमुख नदियाँ घाघरा, गोमती और रामगंगा हैं। हिंदी सबसे अ धक बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी और उर्दू उपयोग में आने वाली अन्य सामान्य भाषाएं हैं।

भारत के लगभग 16.6 प्रतिशत गाँव उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। राज्य की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। 30 प्रतिशत से अ धक शहरी आबादी वाले जिले हैं: आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, फरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर (शहरी), मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी हैं।2001 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में लगभग 27 लाख व्यक्तियों के साथ सभी राज्यों में सबसे बड़ा बाहरी प्रवास था। घरों और काम के लए आवाजाही प्रवास का प्रमुख कारण था। बड़े प्रवास के प्रमुख चालक राज्य के सामाजिक-आ थक प्रदर्शन में पाए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2011-12 के लए मौजूदा कीमतों पर रुपये होने का अनुमान है। 6.76 लाख करोड़, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.2 प्रतिशत का योगदान। स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी पछले पांच वर्षों (2006-07 से 2011-12) में 6.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी है, जो भारत की जीडीपी वकास दर 7.9 प्रतिशत से कम है।वर्तमान में, औद्यो गक और सेवा क्षेत्र दोनों मलकर जीएसडीपी में लगभग 74.8 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जब क प्राथ मक क्षेत्र का योगदान लगभग 24.2 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर 26,051 रुपये होने का अनुमान है - जो अ खल भारतीय औसत 60,972 रुपये प्रति वर्ष से काफी कम है।

भारत मानव वकास रिपोर्ट, 2011 के अनुसार भारत का मानव वकास सूचकांक (एचडीआई) औसत 0.467 है और उत्तर प्रदेश देश में 0.380 के एचडीआई के साथ 18वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की साक्षरता दर 67.7 प्रतिशत थी - अ खल भारतीय औसत 74 प्रतिशत से कम, जैसा क पहले उल्लेख कया गया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी में सबसे बड़ा योगदान देता है - इस प्रकार भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश में सीधे योगदान देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। इसमें से 52 फीसदी आबादी कामकाजी आयु वर्ग में है, जब क केवल 34 फीसदी ही श्रम बल में है। यह अंतर उन लोगों के लए जिम्मेदार है जो काम नहीं करना चाहते हैं। यह उच्च अध्ययन या स्वैच्छिक बेरोजगारी या काम करने की अनिच्छा की आकांक्षाओं के कारण हो सकता है।2011 तक, राज्य के कार्यबल का अनुमान 6.69 करोड़ व्यक्तियों का है। इनमें से अ धकांश 66 प्रतिशत कृ ष में या तो कसान या खेतिहर मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। शेष 34 प्रतिशत गैर-कृ ष गति व धयों में कार्यरत हैं। इस पृष्ठभू म को देखते हुए, कौशल वकास अ धक महत्व रखता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

1.1. जिला स्तरीयपरियोजना:

- एनसीएचपी के संचालन के लए दिशानिर्देश:

एनसीएलएल सोसायटी सोसायटी पंजीकरण अ धनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और जिला कलेक्टर की समग्र परिषद के अधीन कार्य करता है। जिला कलेक्टर सहायता परियोजन यह जिले के संबं धत सरकारी वभागों के सदस्यों, क्षेत्र के प्रख्यात गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा कया जाता है। सरकारी संगठनों,रेड यूनियनों और लाभा र्थयों के माता- पता से लया जा सकता है। अभ्यावेदन कया जा सकता है। जिला एनसीएलटी सोसायटी की सूक्ष्म संरचना अनुलग्नक-डीयह दिया गया है।

एनसीएलएल सोसाइटी का 5-14 आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों का उच्च उद्देश्य खतरनाक है।व्यवसायों और प्र क्रयाओं से निकालना और उन्हें औपचारिक शक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा बनाना-धारा में लाना। इसमें दो प्रमुख कार्य शा मल हैं। पहला, 5 से 9 साल के आयु वर्ग में काम करना।मानव संसाधन वकास मंत्रालय के सर्व शक्षा अ भयान (एसएसए) के माध्यम से सीधे बच्चे औपचारिक शक्षा प्रणाली को मुख्यधारा में लाने की जरूरत परियोजना में सोसायटी को जिला शक्षा वभाग के साथ समन्वय स्था पत करना होगा। दूसरा, उम्र समूह 9-14 वर्ष के बच्चों की पहचान कार्य,कारखाने के वातावरण से निकाले जाने के लए की गई है और परियोजना स मति द्वारा संचा लत वशेष वद्यालयों के माध्यम से पुनर्वास एवं अंततः औपचारिक शक्षा को व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता होगी।परियोजना अ धकारियों को शक्षा वभाग के साथ व्यापक और निरंतर बातचीत करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस लए है ता क वशेष स्कूली बच्चों के बच्चों को एक औपचारिक सरकारी स्कूल प्रणाली की आवश्यकता हो। मुख्यधारा में आसानी से लाया जा सकता है।परियोजना समाज को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लए कदमों का पालन करने की आवश्यकता है। आवश्यकता को निम्न ल खत पैराग्राफों में वस्तार से समझाया जाएगा।

- एनसीआईपी सोसायटी का पंजीकरण:

एक बार एनसीएलटी सोसाइटी के गठन और पंजीकृत होने के बाद, जिले में प्रोजेक्ट सोसाइटी कार्यालय स्था पत करने और बाल श्रम सर्वेक्षण करने के लए धन जारी करना।अनुरोध करते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय को पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करें करना ज़रूरी है।

- परियोजना सोसायटी कार्यालयों की स्थापना:

प्रोजेक्ट सोसाइटी कार्यालय में लोगों को शा मल करने के लए निम्न ल खत कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जरूरत है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

(ए) एक परियोजना निदेशक, जो जिले और अन्य अ धकारियों के लए जिम्मेदार है। प्रभावी क्रयान्वयन एवं समन्वय के लए परियोजना के समग्र प्रभारी होंगे। वह अ धमानतः: प्रतिनियुक्त व्यक्ति राज्य सरकार का एक अ धकारी हो सकता है, क्यों क यह इससे सरकारी मशीनरी के साथ बेहतर तालमेल में मदद मलेगी।

(बी) परियोजना के कार्यान्वयन में परियोजना निदेशक की सहायता के लए दो क्षेत्र: अ धकारी (क्षेत्र अ धकारी)। वह निय मत रूप से परियोजना क्षेत्र का दौरा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे क कार्यक्रम के व भन्न घटकों को ठीक से कार्यान्वित कया जाता है। इस क्षेत्र के अ धकारी श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ता क उन्हें बाल श्रम से संबं धत श्रम अ धनियम के तहत नियुक्त कया जा सके। व भन्न प्रावधान भी पेश कए जा सकते हैं।

(सी) परियोजना निदेशक के कार्यालय में परियोजना रिकॉर्ड और खातों को बनाए रखने के लए क्लर्क-कम-अकाउंटेंट के लएजरूरत है।

(डी) परियोजना निदेशक की सहायता के लए एक आशु ल पक की जरूरत है।

(ई) परियोजना निदेशक के कार्यालय में एक कार्यकालकी जरूरत है।

यह आशा की जाती है क प्रोजेक्ट सोसायटी ही कार्यालय के लए पात्र होगी। कर्मचारियों से ही शुल्क लया जाएगा। चंकी परियोजनाएं सी मत समय के लए स्था पत की जाती हैंइस लए परियोजना क र्मयों को स्थायी नहीं माना जाना चाहिए। इन कलमों को नियोजित करना समय स्पष्ट रूप से उनके काम की अस्थायी और सं वदात्मक प्रकृति का उल्लेख करता है ता क वे भ वष्य में अपने निय मतीकरण का दावा न करें।

- सर्वेक्षण:

सर्वेक्षण बाल श्रम परियोजना का प्रारं भक बिंदु है। लक्ष्य समूह निर्धारित करने के लए परियोजना स मति को परियोजना क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वेक्षण सामान्य तौर पर: बाल श्रम का आकार, व्यवसायों का वर्गीकरण, आयु और उसका भौगो लक वतरण, दर की जानकारी प्रदान करता है। माता- पता की स्थिति और प्राथ मक शक्षा तक पहुंच ऐसे पहलुओं की जानकारी भी जरूरी है।

जिला कलेक्टर/जिला कलेक्टर की उपस्थिति मेंसर्वेक्षण कराया जा सकता है और इसमें श्रम, शक्षा, महिला एवं बाल वकास, स्वास्थ्य जैसे अन्य संबं धत वभाग शा मल हैं और शा मल हो सकते हैं और नागरिक समाज संगठन शा मल हो सकते हैं। जहां तक संभव हो हां, एसएसए द्वारा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों पर एकत्र कए गए डेटा का उपयोग इस सर्वेक्षण के लए कया जा सकता है। जिसके लएप्रारं भक बिंदु बनाया जाना चाहिए।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

सर्वेक्षण में 5-9 आयु वर्ग के खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों की पहचान की गई और शक्षा वभाग के सर्व शक्षा अ भयान और औपचारिक शक्षा प्रणाली से सीधे जुड़ा होना चाहिए। 9-14 वर्ष की आयु वर्ग में संब धत राज्य सरकार के माध्यम से परियोजना स मति को बच्चों के लए एक ठोस योजना, जिसमें उन व शष्ट स्कूलों की संख्या शा मल है जिन्हें वे चलाना चाहते हैं।

सर्वेक्षण के परिणामों को श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ-साथ अग्रे षत कया जाना चाहिएसर्वेक्षणजिला परियोजना स मति द्वारा तैयार परिणाम एवं कार्य योजना के आधार परमंत्रालय जिले के लए स्वीकृत कए जा सकने वाले वशेष स्कूलों की संख्या निर्धारित करेगा। परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लए सभी परियोजना स मतियों द्वारा निय मत रूप से आयोजित कया जाता हैजिसमें अंतराल पर सर्वेक्षण कया जाना चाहिए।

- बाल श्रम का प्रावधान (निषेध और निषेध) अ धनियम, 1986:

खतरनाक व्यवसायों और प्र क्रयाओं में बच्चों को काम से हटाना और बाल श्रम (निषेध और वनियमन) अ धनियम, 1986 और नए प्रवेश की रोकथाम के लए कारखाना अ धनियम, 1949 जैसे अन्य प्रावधानों के तहत बाल श्रम से संब धत कानूनी प्रावधानों के सख्त और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य सरकार की भू मका बहुत महत्वपूर्ण है।

बाल श्रम (निषेध और वनियमन) अ धनियम, 1986 की धारा 3, अ धनियम की अनुसूची स्ट्रीम . में निर्धारित कसी भी व्यवसाय और प्र क्रयाओं में बच्चों के रोजगार को प्रतिब धत करता है 3 के प्रावधानों का उल्लंघन एक अव ध के लए कारावास से दंडनीय होगा जो तीन महीने से कम नहीं होगा ले कन जिसे एक वर्ष तक या ऐसे अ धक वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है । जिसे 10,000/-रुपये तक से कम नहीं ले कन दो साल तक बढ़ाया जा सकता है (धारा 4)। उच्चतम न्यायालयनिर्णय के साथ इस प्रस्तुति के या चकाकर्ता (स वल) संख्या 465/1896 द्वारा शा मल आधार बनाता है।

- जागरूकता पैदा करना:

लक्ष्य समूह की पहचान करने के बाद, फर सेनानियों की लड़ाई के बारे में इस परियोजना का उद्देश्य कर्मचारियों को माता- पता, नियोक्ताओं और स्वयं बच्चों के प्रति संवेदनशील बनानेकी आवश्यकता होगी। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन, ग लयाँ और स्थानीय प्रोजेक्ट सोसाइटी " बालमजदूरीके खलाफ'के माध्यम सेसमुदायों/धर्मार्थ संस्थाओं के साथ निरंतर बातचीत, समाज में जागरूकता पैदा कर सकते हैं और शक्षा की आवश्यकता के बारे में दबाव बनासकते हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

- अन्य गति व धयाँ जो समाज द्वारा की जा सकती हैं उनमें शा मल हैं:

पोस्टर/बैनर और स्टिकर का प्रंट शा मल है। बच्चों की पुनर्जी वत सफल कहानियाँ, बच्चे भी प्रोजेक्ट सोसाइटी स्थानीय मी डया/पत्रिकाओं में व्यापक प्रचार के माध्यम से श्रम उन्मूलन के प्रयासों के लए समर्थन जुटा सकते हैं।

- वशेष वद्यालय/प्र शक्षण-सह-पुनर्वास केंद्र:

9-14 आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों का वशेष वद्यालयों के माध्यम से स्थानांतरण, परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। प्रोजेक्ट सोसाइटी ट्राइब्स राज इंस्टीट्यूशंस/रेड, संघों/स्वयं सहायता समूहों सहित वश्वसनीय और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के लए शा मल कर सकते हैं। यदि पर्याप्त संख्या में एनजीओ या अन्य कार्यान्वयन एजें सयां उपलब्ध नहीं हैं,तो परियोजना वशेष छात्रों के लए समाज द्वारा ही कया जा सकता है।हालाँ क, इन स्कूलों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा कया जाता है औरअन्य कार्यान्वयन एजें सयों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।योजना की सफलता के लए शक्षकों की नियुक्ति और प्रतिबद्ध साक्षात्कारकर्ताओं का चयन महत्वपूर्ण है। चप्पलों को आसानी से ल क्षत स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता है, वशेष छात्रों के लए स्वयंसेवकों और परियोजना स मतियों का गठनअन्य कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए और उनकी सेवाओं के लए जोजो स्वैच्छिक प्रकृति के हैं उन्हें एक समे कत मानदेय दिया जाएगा।उस स्थानीय समुदाय/गांव में स्वयंसेवककार्यान्वयन एजेंसी/गैर सरकारी का होना चाहिए।उनके चयन का मानदंड समुदाय की सेवा के लए उनकी प्रतिबद्धता है।प्रोजेक्ट सोसाइटी टी चंग इंस्ट्रक्टर के लए योग्यता का न्यूनतम स्तर होना चाहिए।काम पर जाने वाले बच्चों की संख्या कम करने की दृष्टि से परियोजनासोसायटी/कार्यान्वयन एजें सयों को कुछ समयदिया जाएगा,मात्रा में लचीलेपन की अनुमति भी है। वशेष स्कूली बच्चों का समय एवंउन बच्चों की सु वधाजो परियोजना के तहत ल क्षत समूह हैं।

वशेषछात्रों की अव ध प्रति दिन लगभग पांच घंटे हो सकती है। स्वयंसेवी समय, अव ध और काम के घंटे तय करते समय परियोजना स मति को लक्ष्य समूह को सु वधा देनी चाहिए।और परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो वशेष वर्ष सप्ताह में सभी छह दिन खुला रहना चाहिए जोलंबे ब्रेक लेने से बचें।योजनान्तर्गत परियोजना स मति वशेष वद्या र्थयों के आवास के लए उपयुक्त है। जो आवास के कराये की अनुमति है। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जहां जिला के एक वशेष क्षेत्र में वशेष छात्रों के लए निर्माण और अन्य बुनियादी सु वधाओं की सु वधा यदि नहीं, तो वशेष स्कूली बच्चों को निय मत स्कूल के भवनों में निय मत स्कूल समय में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रभावी ढंग से मुख्यधारा में लाने के लए यह महत्वपूर्ण है क परियोजना समाज संकाय, स्वास्थ्य सु वधाओं, शै क्षक/व्यावसायिक प्र शक्षकों और मास्टर द्वारा वजीफे का प्रावधान स क्रय हैं। स्पेशल स्कूलों में बच्चों द्वारा बनाया स्वादिष्ट खाना दैनिक आधार पर दोहराने की जरूरत है।जब क इस उद्देश्य के लए रु. 5 प्रति बच्चा प्रति

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

दिन प्रावधान कया गया है, तब भी परियोजना को समाज, जिला स्तर पर क्रयान्वित कया जाएगा। अन्य वभागीय कार्यक्रमों के साथ अ भसरण कया जा रहा है और अन्यथा संभव से बेहतर नाश्ता प्रदान कर सकते हैं।स्कूल में प्रत्येक बच्चे को रु. 100/- प्रति माह वजीफा के रूप में भुगतान कया जाना है। पोस्ट ऑ फस/मा सक आधार पर खोले गए बैंक खाते में बच्चे के नाम शेष रा श जमा कया जाना है। मुख्य धारा में लाभार्थी द्वारा सं चत धन की निकासी की जा सकती है।

क्या यह संभव है? अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने के लए एक तंत्र तैयार करना चाहिए क: रा श लाभार्थी तक ही पहुंची है।

प्रोजेक्ट सोसाइटी के पास पर्याप्त धनरा श उपलब्ध हैइसके बावजूद छात्रवृत्ति रा श के भुगतान में देरी हो रही है। इसे प्राथ मकता के आधार परइसे संबो धत करने की जरूरत है।

प्रोजेक्ट सोसायटी में वशेष वद्यालयों में नामां कत बच्चों का निय मत स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित होनी चाहिए। योजना में 50 बच्चों वाले प्रत्येक 20 स्कूली बच्चों के लए डॉक्टर को शा मल करने का प्रावधान कया गया है। स्वास्थ्य जांच बच्चों को बुनियादी स्वच्छता के बारे में सखाने के इरादे से कया जाना चाहिए।

व शष्ट वकास से संबं धत बहुत ही सामान्य बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं की जाँच करने के लए जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध स्वास्थ्य सु वधाएं भी हैंजोबच्चों को प्रदान कया जाना चाहिए। वद्यालय में प्रत्येक बच्चे के संबंध में आवश्यक स्वास्थ्य कार्य, प्र वष्टियों के लए उपलब्ध होना चाहिए।

एनसीएलआई सोसायटी के लए स्वास्थ्य जांच का क्या अर्थ है?

बीमारी आदि के लए डॉक्टरों की सेवाओं के लएस्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध धन का उपयोग करने की स्वतंत्रता है। 50 बच्चों के प्रत्येक वशेष स्कूल के लए दो शैक्ष णक प्र शक्षकों को शा मल करना है। प्रोजेक्ट सोसाइटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए क ये खाली न रहें। शक्षा देना **DIET/DRU** या कसी अन्य प्रतिष्ठित संगठन की मदद से स्वयंसेवक जिला/राज्य स्तर पर पर्याप्त प्र शक्षण देने की आवश्यकता है। योजना में वशेष स्कूलों में नामां कत बच्चों की वशेष जरूरतों पर जोड़ें । शक्षकों को संवेदनशील बनाने और सीखने के लए एक सुर क्षत वातावरण बनाने में सक्षम निर्माण हेतु निय मत सुदृढ़ीकरण का प्रावधान कया गया है।

शै क्षक और स्थानीय सामग्री सीखने के लए अनुकूल वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। शैक्ष णक और व्यावसायिक सामग्री के प्रावधान के लए रु. 10,000/- प्रति वशेष पैंसठ प्रतिवर्ष की रा श अलग से निर्धारित की गई है। यह

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

पर्याप्त रूप से और प्रभावी ढंग से उपयोग कया जाना चाहिए ता क स्कूल में नामां कत बच्चे बौ द्धक वकास और कौशल वकास की सु वधा के लए पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण, शक्षण सामग्री उपलब्ध होसके।

स्थानीय प्र शक्षण और नियोजन पर वशेष बल दिया गया है। कारण यह है क नामां कत बच्चे मुख्य रूप से 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के हैं । यह भी महसूस कया गया क व्यावसायिक प्र शक्षण का वकल्प उन बच्चों के लए उपलब्ध होना चाहिए जो व शष्ट वद्यालयों में प्रारं भक प्र शक्षण के बाद कौशल आधारित कार्य करना चाहता है।इस दृष्टिकोण से, प्रत्येक वशेष स्कूल के लए 50 बच्चों के साथ एक व्यावसायिक प्र शक्षक होगा। इसके अलावा, व्यावसायिक कौशल/आरईडीएस के क्षेत्र में व्यावसायिक प्र शक्षक/बच्चे व्यापक रूप से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।

प्र शक्षण देने के लए जिले में मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था की गई है। परियोजना समाज एक प्र शक्षण मॉड्यूल वक सत करेगा और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार लाभा र्थयों को प्र शक्षण प्रदान करने के लए स्थानीय आईटीईई या अन्य व्यावसायिक संस्थानों से ऐसे कारीगरों/प्र शक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं।उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक वशेष स्कूल में स्कूल में नामां कत बच्चों का एक हिस्सा होता है। प्रोफाइल बनाए रखना चा और उन बच्चों पर नजर रखने के लए एक तंत्र भी वक सत कया जाना चाहिए जो अंततः औपचारिक स्कूलों की मुख्य धारा में लाए जाते हैं। इससे भ वष्य में उनके औपचारिक स्कूल छोड़ने की संभावना को कम करने में मदद करेगा।

- अव ध:

संबं धत राज्य के शक्षा वभाग, एससीईआरटी, टीआईईटी, डीआरयू,गैर सरकारी संगठनों और बाल श्रम क्षेत्र और अन्य संबं धत क्षेत्रों में काम कर रहे, पाठ्यक्रम में **KOSU** की सामग्री और सामग्री को जिला/राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाता है।

बच्चों के लए शल्प और वोकल प्र शक्षण करना, जिला स्तर पर भी काम कराया जाए। जिला बाल श्रम स मतियां परिस्थितियों के आधार पर कोसु की सामग्री की प्रकृति तय करने की स्वतंत्रता प्रदान की है जहाँ तक संभव हो वशेष छात्रों के लए पाठ्यक्रम इस तरह से वक सत कया गया है क पता होना चाहिए ता क एक सुर क्षत सीखने का माहौल बनाया जा सके और साथ ही बच्चों को निय मत दिया जा सके,छात्रों को मुख्यधारा में लाना आसान बनाएं।

1.2. आवश्यक सफारिश:

नि:शुल्क और अनिवार्य शक्षा का क्रयान्वयनः प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत, बढ़े हुए संसाधनों और शक्षा के वस्तार के साथ मुफ्त और अनिवार्य शक्षा आधारभूत संरचनाहै। इससे बाल श्रम से निपटने में मदद

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

मलेगी। प्रवेश प्र क्रयाओं को युक्तिसंगत बनाकर शक्षा प्रणाली को और अ धक सुगमबनाया जाना चाहिए और शक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो, गरीब बच्चों को आक र्षत करने के लए कताबें, पाठ्यक्रम, मनोरंजन सु वधाएं आदिहो। सामान्य रूप से समुदाय को संवेदनशील बनाकर बच्चों को स्कूलों में नामां कत करने के लए अपनाया जाना चाहिए, और माता- पता वशेष रूप से शक्षा के महत्व पर उपस्थिति सुनिश्चित करना भी जरूरी है।आने वाले स्थानीय व शष्ट कारणों को संबो धत करते हुए स्कूल में नामां कत सभी बच्चों की संख्या उनकी निय मत उपस्थिति का तरीकाहै । उपयुक्त शैक्ष णक के साथ साथ रणनीतियां वक सत करने की आवश्यकता है।मध्याह्न भोजन, वर्दी, कताबें, ब्लैकबोर्ड, शक्षण सामग्री और पर्याप्त बुनियादी ढांचा समय पर उपलब्ध कराने की जरूरत है।

प्रवासी परिवारों के बच्चों की शक्षा के लए पहल: प्रवास करने वाले परिवारों के बच्चे ईंट भ ों, निर्माण स्थलों आदि में काम करने के लए शुरू करते हैं अपने मूल स्कूलों से वस्था पत हो जाते हैं और अपने माता- पता के साथ काम करते हैं, यदि ये बच्चे अपने माता- पता के साथ काम नहीं करते हैं, तो वे अपने भाई-बहनों की देखभाल के लए अस्थायी बस्तियों में रहतेहैं। इस प्रकार, शक्षा प्रणाली नेउन्हें पूरी तरह से बाहर रखा गया है । जोनिरक्षर रहते हैं और स्कूलों में शा मल होने में असमर्थ हैं। ये बच्चे, जो औपचारिक स्कूली शक्षा प्रणाली तक पहुँचने में असमर्थ, उनकोअन्यसाधन के माध्यम से शक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसे मोबाइल स्कूल; प्रवासी की महिला बच्चों पर वशेष ध्यान देना चाहिए परिवारों को यह सुनिश्चित करने के लए क वे भी ऐसे स्कूल में निय मत रूप से उपस्थित हों।

परिवार का आ र्थक पुनर्वास: बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लए कार्यक्रम पर बल देते हैं? बच्चे का पुनर्वास, ले कन, साथ ही, परिवार का आ र्थक पुनर्वास समानार्थ महत्वपूर्णहै । गरीबी को दूर करने के लए पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है, ता क परिवार उन आ र्थक संकटों को दूर करने में सक्षम हो जिन्होंने उन्हें अपने बच्चों को काम पर भेजने के लए मजबूर कया।

समुदाय के लए संवेदीकरण कार्यक्रम: संवेदीकरण कार्यक्रम होने चाहिए बाल श्रम के प्रतिकूल परिणामों पर समुदाय के लए समय-समय पर आयोजित कया जाता है, जिसमें शा मल हैं:बच्चों के स्वास्थ्य और भ वष्य पर प्रभाव, परिवार की आ र्थक स्थिति और प्रतिकूल बड़े पैमाने पर समुदाय और समाज पर प्रभाव। शक्षा वभाग के शक्षक एवं पदा धकारी के लए शक्षा और शै क्षक आधारभूत संरचना प्रदान करने की आवश्यकता है।बच्चों को स्कूल में दा खला देना और उन्हें बनाए रखना ता क वे श्रम बल में शा मल होने के लए बाहर न जाएं, और शैक्ष णक पद्धति में शक्षक के प्र शक्षण के लए भी प्रदान करता है। पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) को बाल श्रम के मुद्दे पर संवेदनशील बनाने की जरूरत है, और कार्यक्रम आयोजित कए जाने की जरूरत है।

सूक्ष्म नियोजन में प्रभावी भागीदारी के लए उनकी क्षमता में वृ द्ध करना। निहित शक्ति के अनुसार इन संस्थानों में संवैधानिक 73वें संशोधन अ धनियम, 1992 और संवैधानिक 74वें द्वारा संशोधन अ धनियम, 1992, उन्हें

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बेहतर शक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके अ धकार क्षेत्र में बुनियादी ढाँचा और व भन्न वकास की पहुँच सुनिश्चित करना गरीबों की आ र्थक स्थिति को सुधारने के लए कार्यक्रमहो।

श्रम कानूनों का प्रवर्तन और संशोधन: जहां तक संबं धत कानूनों के प्रवर्तन से संबं धत है, बाल श्रम के नियोजन पर रोक लगाने का संबंध है, यद्य प निरीक्षण के संबंध में कार्यकुशलता में सुधार। हालां क, इस तरह के प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से नहीं हैं।अ भयोजन और अंत में सजा में अनुवादित इसे देखते हुए आचरण के बीच की खाई छापेमारी, मामले दर्ज करने और ता र्कक अंत तक पहुँचने को कम से कम कया जाना चाहिए। इसके अलावा, बच्चे छापेमारी में पहचाने गए लोगों को या तो सामान्य वशेष स्कूलों में या फर तुरंत आवासीय वद्यालय भर्ती कराया जाना चाहिए । बाल श्रम से संबं धत कानूनों में क मयों को दूर करने के लए संशोधन कानून प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने और बढ़ाने के साथ-साथ कए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बाल श्रम को समाप्त करने के वैकल्पिक उपायों को पेश करने की आवश्यकता है।

कानून का प्रवर्तन। सभी वकास कार्यक्रमों और वकास के लाभों का अ भसरण के भीतर बाल श्रम की उच्च घटनाओं के क्षेत्रों के लए निवेश को ल क्षत कया जाना चाहिए, हॉटस्पॉट जिलों के बजाय लोगों के सामान्य आजी वका संसाधनों को वक सत करने के लए बाल श्र मकों वाले व्यक्तिगत परिवारों को ल क्षत करना कृ ष आधारित अर्थव्यवस्थाओं को होना चाहिए।आदिवासी उप-योजनाओं के तहत बंजर भू म वकास योजनाओं, योजनाओं को प्रोत्साहित करके वक सत कया गया, वाटरशेड प्रबंधन योजनाएं, आदि। संचाई क्षमता वाले कृ ष क्षेत्रों को स्थित करने की आवश्यकता है। क्षेत्र के लए उपयुक्त फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके कृ ष उत्पादकता के लएआवश्यकता है।

न्यूनतम मजदूरी में वृ द्ध: सी मत रोजगार के अवसर और कम वेतन वाले परिवारों का नेतृत्व करते हैं अन्य राज्यों में प्रवास करने के लए जहां न्यूनतम मजदूरी की दरें अ धक हैं। इनमें से कई में बच्चे परिवार सशुल्क काम भी लेते हैं। उन राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में वृ द्ध जहां दरें कम हैं कुछ हद तक संकट प्रवास और ऋण बंधन की प्र क्रयाओं को नियंत्रित करने में परिणाम होगा,
बाल श्रम को रोकना और बच्चों को अपने मूल स्थान पर स्कूली शक्षा जारी रखने में सक्षम बनाना। वयस्कों के लए न्यूनतम मजदूरी के मौजूदा अपर्याप्त स्तरों की समीक्षा करने, संशो धत करने की आवश्यकता है और पूर्णका लक काम करने वाले बच्चों से होने वाली आय के नुकसान की भरपाई के लए अपग्रेड कया गया है।

लैं गक समानता को बढ़ावा देने के लए कदम: यह समझ क लैं गक भेदभाव एक अग्रणी है। बाल श्र मकों की सुरक्षा और बच्चों को घरेलू श्रम खत्म करने के लए बाल घरेलू श्रम का कारण महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़ों में बा लकाओं की गति व धयों का लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता है। घरेलू बाल श्रम के परिमाण को पकड़ने और उनके लए नीतिगत हस्तक्षेप की योजना बनाने के लए शक्षाहै।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

1.3. निष्कर्ष:

यद्य प इन व्यापार नीतियों ने बाल श्रम के मुद्दे को उजागर कया है राजनीतिक एजेंडा, व्यवहार में उनका उपयोग करने में कई समस्याएं हैं। प्रथम, यदि इन नीतियों से व्यापार प्रतिबंध लगते हैं जो औसत पारिवारिक आय को कम करते हैं, तो वे बाल श्रम की घटनाओं को संभा वत रूप से बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, यदि प्रतिबंधों को बहुत ही कम लागू कया जाता है, तो वे वश्वसनीय नहीं होंगे, दूसरा, व्यापार प्रतिबंधों के हा लया इतिहास का उद्देश्य व्यापक रूप से बढ़ावा देना है, राजनीतिक परिवर्तन उनकी प्रभावकारिता के बारे में अ धक आशावाद का सुझाव नहीं देता है।तीसरा, यह स्पष्ट नहीं है क व्यापार कस व शष्ट कार्रवाई का दबाव डालता है बनाने की को शश करनी चाहिए। मध्याह्न भोजन, वर्दी, कतावें, ब्लैकबोर्ड, शक्षण सामग्री और पर्याप्त बुनियादी ढांचा समय पर उपलब्ध कराने की जरूरत है।आदिवासी उप-योजनाओं के तहत बंजर भू म वकास योजनाओं, योजनाओं को प्रोत्साहित करके वक सत कया गया, वाटरशेड प्रबंधन योजनाएं, आदि। संचाई क्षमता वाले कृ ष क्षेत्रों को स्थित करने की आवश्यकता है। क्षेत्र के लए उपयुक्त फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके कृ ष उत्पादकता के लए, प्रदर्शन करने के लए समुदाय आधारित संगठनों को मजबूत करने की आवश्यकता है बाल श्रम का मुकाबला करने के लए स्थानीय दबाव समूहों की भू मका और प्रभावी रूप से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना बाल श्रम और व भन्न गरीबी उन्मूलन और गरीबी से संबं धत कानूनों का कार्यान्वयनकरनाहै।

संदर्भ:

1. कुमार, वी. अनिल। (2011)।"राज्य, नागरिकसमाजऔरकर्नाटकमेंबालश्रमकाउन्मूलन, "आ थकऔरराजनीतिकसाप्ताहिक, वॉल्यूम।एक्सएलवीआई, नं.3, पीपी. 23-25.
2. कुमार, वजय. (2012)।" वतरणऔरआ थकगति व धयोंमेंपरिवर्तन: 1991 से 2001 कीजनगणनाकेआंकड़ोंका वश्लेषण"संस्करणमें।
3. लीटेन, जी.के. (2000)।" चल्ड्रन, वर्कएंडएजुकेशन - I जनरलपैरामीटर्स,"इकोनॉ मकएंडपॉ लटिकलवीकली, 10 जून, पीपी। 2037-2043।
4. लीटेन, जी.के. (2000)।" चल्ड्रन, वर्कएंडएजुकेशन- II फील्डवर्कइनटूयूपी वलेज, "इकोनॉ मकएंडपॉ लटिकलवीकली, 17 जून, पीपी। 2171-2177।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

5. लीटेन, जी.के. (2006)।"बालश्रम: सबसेखराबरूपोंकाक्याहुआ?"इकोनॉ मकएंडपॉ लटिकलवीकली, 14 जनवरी, पीपी। 103-108।"भारतमेंबालश्रमकापरिमाण: डेटाकेआ धकारिकस्रोतोंका वश्लेषण (ड्राफ्ट)।"यहांउपलब्धहै: http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lid=131।
6. महेंद्रदेव, एस. (2004)।"महिलाकार्यभागीदारीऔरबालश्रम: एनएफएचएससेव्यावसायिकडेटा,"आ र्थकऔरराजनीतिकसाप्ताहिक, 14 फरवरी, पीपी। 736-744।
7. मार्टीन, के. (1996)।"बालश्रमऔरवयस्कश्रमजयपुरकेजेमपॉ ल शंगनिर्यातउद्योगमें, भारतकेनिर्यात-उन्मुखपरिधानऔरपॉ लशउद्योगमेंबालऔरवयस्कश्रममें,"नीदरलैंडकीभारतस मति, यूट्रेक्ट, पीपी। 82-99
8. मजूमदारइंद्राणीऔरनीताएन। (2011)।" लंगआयाम:भारतमेंरोजगाररुझान: 1993-94 से 2009-10,"समसामयिकपेपरनंबर 56।नईदिल्ली: महिला वकासअध्ययनकेंद्र।
9. मेहरोत्रा, संतोषऔरबिगगेरीमारियोसंस्करण। (2007)।"ए शयाईअनौपचारिकश्र मक: वैश्विकजो खम, स्थानीयसुरक्षा,"रूटलेज: लंदनऔरन्यूयॉर्क
10. एमएचआरडी, (2011)।"प्रारं भक शक्षाऔरसाक्षरता 12वींपंचवर्षीययोजना 2012-2017 परकार्यसमूहकीरिपोर्ट।"स्कूल शक्षाऔरसाक्षरता वभाग, भारतसरकार, नईदिल्ली।
11. मश्रा, लक्ष्मीधर. (2000)।भारतमेंबालश्रम, जम्मूऔरकश्मीरमेंकालीनबुनाईउद्योगमें, यूपी, ऑक्सफोर्डप्रेस, नईदिल्ली, पीपी। 95-101।
12. मोह सन, एन. (2006)। CLAP II मूल्यांकनरिपोर्ट, यूरोपीयसंघ, भारतदेशकार्यालयऔर TDH (जर्मनी) भारतकार्यालय
13. मुखर्जी, दीपा. (2011)।"भारतमेंस्कूलीबच्चोंकोकमकरना: सूक्ष्मअध्ययनसेसबक"।न्यूपा: नईदिल्ली
14. मर्फी, डे मयन। (2005)।" शक्षाकेमाध्यमसेबालश्रमकाउन्मूलन: भारतमेंएमवीफाउंडेशनकेकार्यकोदोहरानेकीक्षमता।"सेंटरफॉरडेवलपमेंटस्टडीज: यूनिव र्सटीकॉलेज, डब लन।
15. राष्ट्रीयनमूनासर्वेक्षणसंगठन (एनएसएसओ) (2004-05)।"घरेलूकर्तव्योंकेसाथनिर्दिष्टगति व धर्योंमेंमहिलाओंकीभागीदारी," 61वांदौर, सांख्यिकीऔरकार्यक्रमकार्यान्वयनमंत्रालय, भारतसरकार।
16. प्रसाद, सी. हेमलता (1996)।केसस्टडीज- हिमाचलप्रदेश, ग्रामीणक्षेत्रोंमेंमहिलाओंऔरबच्चोंके वकासमें, डस्कवरीपब्लि शंगहाउस, नईदिल्ली।पीपी.75-96.
17. राय, रंजन। (2001)।बालश्रमऔरबालस्कूली शक्षाकाएकसाथ वश्लेषण: नेपालऔरपा कस्तानसेतुलनात्मकसाक्ष्य, अर्थशास्त्रकेस्कूल, तस्मानिया वश्व वद्यालय, ऑस्ट्रे लया।
18. सांघी, सुनीताएटअल। (2015)।'भारतमेंग्रामीणमहिलाश्रमबलभागीदारीमें गरावट: कारणोंमेंएकपुन र्वचार, वकल्प, 40 (3) 255-268, ऋ षप्रकाशन।
19. सरवनन, वेलायुथम (2002)।"महिलारोजगारऔरबालश्रममेंकमी: ग्रामीणत मलनाडुमेंबीड़ीश्र मक,"आ र्थकऔरराजनीतिकसाप्ताहिक, 28 दिसंबर, पीपी। 5205-5214।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

20. सेकर, हेलेनआर। (2007)।"इलाहाबाद, कोशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, सोहेभद्रा, फैजाबाद, भदोहीऔरउत्तरप्रदेशके मर्जापुरजिलोंमेंकालीनबुनाई, "बालश्रममें: उन्मूलनके लएस्थितिऔररणनीतियाँ, वी.वी. गरीराष्ट्रीयश्रमसंस्थान, नोएडा, पीपी। 41-43

21. सेकर, हेलेनआर। (2007)।"मुरादाबादकेपीतलकेबर्तनउद्योगमेंबालश्रमकीमांगपरतकनीकीपरिवर्तनकाप्रभाव, "श्रृंखलासंख्या 074/2007, वी.वी. गरिराष्ट्रीयश्रमसंस्थान, नोएडा, पृष्ठ.129-130

22. सेकर, हेलेनआर। (2007)।"रामपुरमेंचाकूउद्योग, "बालश्रमकीस्थितिऔरउन्मूलनके लएरणनीतियाँ, वीवी गरीराष्ट्रीयश्रमसंस्थान, नोएडा, पीपी 32-34।

23. शेखर, हेलेनआर., औरमोहम्मद, नूर। (2001)।"अलीगढ़केगृहआधारितताालाउद्योगोंमेंबालश्रम, "श्रृंखलासंख्या 018/2001, वी.वी. गरिराष्ट्रीयश्रमसंस्थान, नोएडा

24. शाह, फरीदा, अनुसू चतजनजातिबालश्रम, (1996)। शवापब्लिशर्स डस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर, पीपी 42-45।

25. सन्हाएचऔर मश्रापी। (2012)।"मौसमीप्रवासनऔरबच्चोंकीभेद्यता: रांचीजिलेमेंईंटभ ाप्रवासकाएकमामला।"आ र्थकऔरसामाजिक वकासजर्नल, वॉल्यूम।आठवीं, नंबर 1, पीपी। 37-48।

26. थॉमस, जयनजोस (2012)।"2000 केदशककेदौरानभारतकाश्रमबाजार, "आ र्थकऔरराजनीतिकसाप्ताहिक, वॉल्यूम। 47, नंबर 51, पीपी 29-31।

27. तज़ानाटोस, जेड (1998)।"1990 केदशकमेंथाईलैंडमेंबालश्रमऔरस्कूलनामांकन।"सोशलप्रोटेक्शन डस्कशनपेपरसीरीजनंबर 9818. सोशलप्रोटेक्शनयूनिट।मानव वकासनेटवर्क।वा शंगटनडी.सी., वश्वबैंक।

28. यूनिसेफ (2008)।बालघरेलूश्रमपर वधायीसुधार: एक लंग वश्लेषण। वधायीसुधारपहलपेपरश्रृंखला।नीतिऔरयोजनाका वभाजन।जनवरी, 2008।यूनिसेफ: न्यूयॉर्क।

29. अनजान। (1993)।"जम्मूऔरकश्मीरकेकालीनबुनाईउद्योगमेंबालश्र मक, "बालश्रमश्रृंखला, बालश्रमप्रकोष्ठ, वी.वी. गरिराष्ट्रीयश्रमसंस्थान, पीपी. 2-10.

30. अनजान। (2015)।"बच्चोंकोखेलनेदें: बालश्रमकानूनबचपनकेबच्चोंकेअ धकारपरआधारितहोनाचाहिए, "आ र्थकऔरराजनीतिकसाप्ताहिक, वॉल्यूम।एल, नंबर 16, पीपी.8

31. 1 जून 2007, 20 से 22 जुलाई 2011 केदौरानकर्नाटककेक्षेत्रीयदौरोंकेदौरानहेलेनआरशेखरद्वारा व भन्नसामाजिकभागीदारोंऔरहितधारकोंकेसाथअसंर चतसाक्षात्कार।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 8, August - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

32. वीवीजीएनएलआई (1993)।"जम्मूऔरकश्मीरकेकालीनबुनाईउद्योगमेंबालश्र मक,"बालश्रमश्रृंखला, बालश्रमप्रकोष्ठ, वी.वी. गरिराष्ट्रीयश्रमसंस्थान, पीपी. 2-10.

33. वहबा, जैकलीन (2005). " मस्रमेंबालश्रमऔरस्कूली शक्षापरबाजारकीमजदूरीऔरमाता-पताकेइतिहासकाप्रभाव,"चर्चापत्रसंख्या 1771, साउथेम्प्टन वश्व वद्यालयऔरआईजेडए, बोन्घर्मनी।

34. वश्वबैंक (2004)। वश्व वकासरिपोर्ट, "गरीबलोगोंके लएसेवाकार्यकरना"।ऑक्सफोर्डयूनिव र्सटीप्रेस।

वेबसाइटें:

http://www.cry.org/resources/pdf/ConceptPaper_ChildLabour.pdf
http://www.ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=2&lid=131&sublinkid=176
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
http://www. indianmutinies.com/child-labour-in-kerala/
http://unicef.in/State/Bihar.
(2013): Ministry of Women and Child Development (MWCD): National Policy for Children2013, p 2, http://wcd.nic.in/icpsmon/pdf/npc2013d td29042013.pdf, viewed on 12 August 2015